बिहार सरकार
अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग
सं0सं0–3/आ0वि0(विविध)–02–30/2011– 2039

प्रेषक,
निदेशक

सेवा में,
सभी जिला कल्याण पदाधिकारी।

पटना, दिनांक– 3/9/13

विषयः–**अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित आवासीय विद्यालयों में जेनरेटर सेट के संचालन एवं रख–रखाव के संबंध में दिशा–निदेश।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय पत्रांक–1810 दिनांक 05.08.2013 द्वारा आवासीय विद्यालयों/छात्रावासों में जेनरेटर सेट संचालन के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश दिया गया था। जेनरेटर सेट संचालन के संबंध में प्राप्त सुझाव एवं मंतव्य के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त विद्युत आपूर्ति बाधित रहने पर जेनरेटर संचालन हेतु समयावधि में निम्न संशोधन किये जाते हैं:–

क्र.सं.	माह	विद्यालय	छात्रावास
1.	नवम्बर से मार्च	विद्यालय अवधि (अधिकतम 6 घंटा)	05.00 PM से 10.00 PM (अधिकतम 5 घंटा)
2.	अप्रैल से अक्टूबर	विद्यालय अवधि (अधिकतम 6 घंटा)	06.00 PM से 11.00 PM (अधिकतम 5 घंटा)
3.	भोजनावकाश (दोपहर)		1½ घंटा अधिकतम

विभागीय पत्रांक–1810, दिनांक 05.08.2013 में दिये गये अन्य निर्देश यथावत रहेंगे।

कृपया उपरोक्त दिशा निर्देश का पालन सुनिश्चित किया जाय।

विश्वासभाजन,

निदेशक।

ज्ञापांकः–3/आ0वि0(विविध)–02–30/2011– 2039 पटना, दिनांकः– 3/9/13

प्रतिलिपिः–सभी प्रमंडलीय उपनिदेशक कल्याणा/सभी प्रधानाध्यापक, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति आवासीय विद्यालय/आई.टी. मैनेजर, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक